

ऋण आवेदन-पत्र

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी
साख समिति मर्यादित, भोपाल

महोदय,

निवेदन है कि मुझे हेतु रुपये (शब्दों में रुपये मात्र)
मेरे अंश रुपये व अमानत रुपये के तारण पर तथा मेरे प्रतिभू की
अमानत की रकम के तारण पर देकर अनुग्रहीत करें। मैं मण्डल की शाखा में
पद पर कार्य कर रहा हूँ। मैं मण्डल का स्थाई कर्मचारी हूँ। उक्त ऋण की रकम को मैं सूद सहित
मासिक किश्तों में वापस कर दूंगा।

आपका विश्वासपात्र,

.....
.....
.....

हस्ताक्षर
नाम
पद

कार्यालय टीप -

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक को उक्त आवेदन
पत्र पर विचार किया जाकर रु. का ऋण स्वीकृत किया गया।

उपाध्यक्ष / अध्यक्ष

म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल

ऋण का अनुबन्ध

- (1) ज्ञात है कि मैं आत्मज
उम्र वर्ष, पता स्थाई
वर्तमान पता
सत्य प्रतिज्ञा से लिख देता हूँ कि म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल से
रुपये (शब्दों में) केवल के लिए ऋण
लिया है। ऋण की पूरी राशि चेक क्रमांक दिनांक द्वारा प्राप्त कर
चुका हूँ एवं धन को चुकाने के लिए वचनबद्ध हूँ। प्राप्त ऋण की राशि पर मैं
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सूद देने हेतु वचनबद्ध हूँ।
- (2) ऋण की रकम से तक किश्तों में प्रतिमाह के वेतन से काटी
जाकर संस्था को देने हेतु अनुबन्ध मैं म. प्र. गृह निर्माण मण्डल भोपाल को लिखित में दे रहा हूँ।
- (3) म. प्र. गृह निर्माण मण्डल भोपाल के कार्यालय से मुक्त होने (सेवायें समाप्त होने, त्याग पत्र देने या अन्य कारणों
से) की अवस्था में, कार्यालय से मुक्त होने के पूर्व मैं समस्त ऋण सूद सहित एक मुश्त जमाकर दूंगा। जमा न
करने की अवस्था में, समिति को अधिकार होगा कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा मुझ पर बकाया समस्त ऋण की
धनराशि सूद सहित मेरी स्थावर जंगम सम्पत्ति से एक मुश्त वसूल कर ले।
- (4) यदि मैं ऋण की कोई किश्त या सूद की रकम निश्चित अवधि में न चुकाऊं तो समिति को अधिकार है
कि वह उपनियम 49 के अनुसार अनाधिकृत चुकी हुई रकम पर साधारण सूद के अतिरिक्त एक पैसा
प्रति रुपया प्रतिमाह के हिसाब से दण्ड ब्याज भी वसूल कर ले।
- (5) यदि मैं उक्त ऋण की धनराशि आवेदन पत्र में अंकित प्रयोजन हेतु खर्च न करूँ तो समिति उपनियम क्रमांक 48
के अनुसार कुल ऋण तुरन्त वसूल कर ले और ऐसे ऋण का रकम पर ऋण देने के दिनांक से साधारण सूद के
अतिरिक्त एक पैसा प्रति रुपया प्रतिमाह के हिसाब से दण्ड ब्याज सहित वसूल कर ले।

- (6) मैं उक्त सम्पूर्ण ऋण के भुगतान होने तक न तो प्रतिभू बदलूंगा और न निरस्त कराऊंगा परन्तु यदि मुझे समिति यह सूचित करेगी कि मेरी प्रतिभू किन्हीं कारणों से प्रतिभू रहने के अयोग्य हो गया है अथवा तारण में दी हुई सम्पत्ति अपर्याप्त है तो मैं सूचना में दी हुई अवधि के भीतर दूसरा प्रतिभू देने अथवा तारण बढ़ाने के लिए वचनबद्ध रहूंगा और यदि सूचित की हुई अवधि के भीतर मैं ऐसा न कर सकूँ तो समिति उक्त प्रतिभू पर अथवा तारण पर दिया हुआ सब ऋण ब्याज सहित एक मुश्त तुरन्त वसूल कर सकेगी।
- (7) यदि मैं प्रतिवर्ष मार्च में ऋण-राशि पर लगने वाले ब्याज को अदा नहीं करूँ तो उसे मेरे ऋण खाते में समायोजित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम

..... पद

प्रतिभूतिबन्ध-पत्र

क्रमांक	नाम	आत्मज/पत्नी	पद	हिस्से का स्वामित्व
1-
2-

हम उपरोक्तानुसार प्रतिभूति लिख देते हैं कि यदि श्री (सदस्य) आमत्ज पद निर्धारित समय पर रुपये (शब्दों में) ऋण जो उन्होंने म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल से लिया है, के भुगतान के लिए हम उत्तरदायी होंगे। हम समिति के सदस्य हैं एवं उपरोक्तानुसार हमें अंशों का स्वामित्व प्राप्त है।

हम श्री के भोपाल म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल के कार्यालय से (पद मुक्त होने, सेवायें समाप्त होने / त्याग पत्र देने / अन्य कारणों से) ऐसी अवस्था में, उनके कार्यालय से मुक्त होने के पूर्व उन्हें समिति के ऋण की समस्त बकाया धनराशि सूद सहित चुकाने हेतु प्रेरित करेंगे। परन्तु यदि किसी कारणवश उक्त सदस्य द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो हम हस्ताक्षरकर्ता समिति के इस समस्त ऋण की बकाया धनराशि को सूद सहित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और सदस्य श्री के पद मुक्त होने के दिनांक से आगामी माह से हमारे वेतन से धनराशि कटवाकर श्री के ऋण खाते में जमा करवाते रहेंगे।

हस्ताक्षर साक्षी

हस्ताक्षर प्रतिभू

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) हस्ताक्षर | (1) हस्ताक्षर |
| नाम | नाम |
| | पद |
| (2) हस्ताक्षर | (2) हस्ताक्षर |
| नाम | नाम |
| | पद |

अधिकार-पत्र

प्रति,

व्यवस्थापक महोदय,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी
साख समिति मर्यादित, भोपाल

महोदय,

निवेदन है कि मैंने म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल से रु..... (शब्दों में) ऋण लिया है। यह ऋण की राशि मासिक किश्तों में मुझे सूद सहित चुकानी है अतएव मैं आपको माह से प्रतिमाह मेरे वेतन से मूलधन के रुपये काटकर तथा अन्तिम किश्त, किश्त ब्याज की (जो उक्त समिति तय करे) काटकर समिति को प्रतिमाह भेजने हेतु अधिकृत करता हूँ।

आपका विश्वासपात्र,

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम

..... पद